टी0–01 स्था0 (06) अनु0–09 / 2025...908.../

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

प्रेषक,

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 01/04/2025

विषयः– बिहार तकनीकी सेवा अयोग, पटना द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या–07/2023 से 36/2023 एवं 38/2023 से 52/2023 के अंतर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), पटना के नियंत्रणाधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/कार्यालयों में व्यवसाय अनुदेशकों के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों (पूर्व में आयोजित दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित) का दिनांक–09.04.2025 को नियोजन भवन, पटना के प्रथम तल, सी ब्लॉक, में अवस्थित **मंथन सभागार** में दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार तकनीकी सेवा अयोग, पटना द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या–07/2023 से 36/2023 एवं 38/2023 से 52/2023 के अंतर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), पटना के नियंत्रणाधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/कार्यालयों में व्यवसाय अनुदेशकों के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों (पूर्व में आयोजित दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित) का दिनांक–09.04.2025 को नियोजन भवन, पटना के प्रथम तल, सी ब्लॉक, में अवस्थित **मंथन सभागार** में दस्तावेज सत्यापन कराया जाना है।

अतः इस आशय संबंधित प्रेस–विज्ञप्ति तथा सी0डी0 पत्र के संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे राज्य के प्रमुख हिन्दी/अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–प्रेस विज्ञप्ति एवं सी0डी0 एक प्रति।

विश्वासभाजन
01/04/25
निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– टी0–01 स्था0 (06) अनु0–09 / 2025...908.../पटना, दिनांक–01/04/2025

प्रतिलिपि–श्री घनश्याम रविदास, नोडल पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अप–लोड करने हेतु प्रेषित।

01/04/25
निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार तकनीकी सेवा अयोग, पटना द्वारा आयोजित विज्ञापन संख्या–07/2023 से 36/2023 एवं 38/2023 से 52/2023 के अंतर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), पटना के नियंत्रणाधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/कार्यालयों में व्यवसाय अनुदेशकों के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों (पूर्व में आयोजित दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित) का एतदर्थ गठित समिति के समक्ष दिनांक–09.04.2025 (09:30 बजे पूर्वाह्न से प्रारम्भ) को नियोजन भवन, पटना के प्रथम तल, सी ब्लॉक, में अवस्थित **मंथन सभागार** में दस्तावेज सत्यापन किया जायेगा।

2. प्रमाण–पत्र सत्यापन के लिए सभी अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी दो–दो स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे।

(i) मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्र।

(ii) राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण–पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र।

(iii) डिग्री/डिप्लोमा से संबंधित प्रमाण–पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।

(iv) अनुभव एवं प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता प्रमाण–पत्र।

(v) यदि अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हों तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate) ।

(vi) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षित कोटि के अनु0जाति/अनु0 जनजाति/ अभ्यर्थियों के लिए)।

(vii) बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी/अन्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा इस आशय हेतु वैद्य प्रमाण–पत्र।

(viii) बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा निर्गत प्रवेश–पत्र (Admit Card) ।

(ix) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण–पत्र।

(x) पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन विहित प्रपत्र (दो प्रतियों में) अभ्यर्थी अपने साथ लायेंगे। उक्त विहित प्रपत्र श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट https.//state.bihar.gov.in/labour पर उपलब्ध है।

(xi) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण–पत्र।

(xii) अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ–पत्र की सभी प्रमाण–पत्र/अभिलेख सही है तथा उनके विरूद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई मामला दर्ज/विचारधीन नहीं है एवं उनका आचारण प्रतिकूल नहीं है। शपथ पत्र का विहित प्रपत्र श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट https.//state.bihar.gov.in/labour पर उपलब्ध है।

(xiii) पासपोर्ट साईज का हाल का 4 (चार) रंगीन फोटो।

(xiv) कोई फोटोयुक्त दस्तावेज जो अभ्यर्थी के पहचान को प्रमाणित करें, यथा– Aadhar Card, Driving License, Passport/Ration Card etc.

3. प्रमाण–पत्रों की जाँच हेतु सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

4. यदि कोई अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण–पत्रों के साथ जाँच हेतु उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थियों के संबंध में विधिसम्मत निर्णय लिया जायेगा।

01/04/23

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

(10)

सत्यापन प्रपत्र

पासपोर्ट आकार की एक
अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो प्रति

यहाँ चिपकाएँ

चेतावनी

1. इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छुपाये जाने को अयोग्यता माना जायेगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।
2. यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष–मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाए, जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किये जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है।
3. यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

1.	उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम (यदि आपने कभी अपने नाम अथवा कुलनाम में अंशतः कुछ जोड़ा अथवा निकाला हो तो उसे विनिर्दिष्ट करें)	कुलनाम नाम
2.	वर्त्तमान पूरा पता अर्थात गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०, गली / स्ट्रीट / सड़क तथा शहर	
3.	(क) घर का पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०, गली / स्ट्रीट / सड़क व शहर और जिला मुख्यालय का नाम (ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश (पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहाँ से भारत आने की तारीख का उल्लेख करें।	

4. गत पाँच वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें (आवास–अवधि सहित) जहाँ आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें।

(9)

से	तक	आवास का पूरा पता (अर्थात गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं० गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर)	पूर्व कालम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम
1	2	3	4

5.

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और /अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	व्यवसाय (यदि सेवारत हैं तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें)	पत्राचार का वर्तमान पता (दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थाई पता
1	2	3	4	5	6
(क) पिता (उपनामों सहित यदि कोई हो) (ख) माँ (ग) पत्नी/पति (घ) भाई (ङ) बहन/बहनें।					

6. उस पुत्र/ पुत्रों और पुत्री/पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं:-

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और /अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	जिस देश में पढ़ रहे/रह रहे हैं, उसका पूरा पता	पूर्व कालम में उल्लिखित देश में कब से पढ़ रहे/रह रहे हैं
1	2	3	4	5

7. राष्ट्रीयता

(क)	जन्मतिथि	(क)
(ख)	वर्तमान आयु	(ख)
(ग)	मैट्रीकुलेशन के प्रमाण–पत्र में दी गई आयु	(ग)

8. (क) जिले व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान (क)

(ख) आप किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं। (ख)

(ग) आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं। (ग)

(क) आपका धर्म

(ख) क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ी जाति से सम्बद्ध हैं। जिससे संबद्ध हों, उसका नाम लिखें।

10. 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कालेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें।

पूरे पते सहित स्कूलों/कॉलेजों के नाम	स्कूल/कॉलेज में प्रवेश की तारीख	स्कूल/कॉलेज छोड़ने की तारीख	कौन सी परीक्षा पास की

11. (क) क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकाय, अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं। यदि हाँ तो सेवा की तारीखों सहित पूर्ण अद्यतन ब्यौरा दें।

अवधि		पदनाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियोक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण
से	तक			

11. (ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार/किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/ स्वायत्त निकाय/ विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी।

(ग) क्या आपने केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली, 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है? क्या नोटिस दिए जाने अथवा सेवा समाप्त किए जाने से पूर्व बाद की तारीख मेंआपसे स्पष्टीकरण माँगा गया।

12. (i) (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है ? हाँ/नहीं

(ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है ? हाँ/नहीं

(ग) क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है ? हाँ/नहीं

(घ) क्या कभी आपको नजरबन्द किया गया है ? हाँ/नहीं

(ङ) क्या किसी विधि न्यायालय ने आप पर कभी अर्थदंड डाला है ? हाँ/नहीं

(च) क्या कभी किसी विधि–न्यायालय ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया है ? हाँ/नहीं

(छ) क्या कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान ने आपको किसी परीक्षा में बैठने से रोका है अथवा बहिष्कृत किया है ? हाँ/नहीं

(ज) क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी किसी परीक्षा/चयन से आपको बहिष्कृत/अयोग्य घोषित किया है ? हाँ/नहीं

(झ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरने के समय किसी विधि न्यायालय मे आपके विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है ? हाँ/नहीं

(ञ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरते समय किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है ? हाँ/नहीं

(ट) क्या सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्यमुक्त किया गया/बहिष्कृत किया गया/निकाला गया ? हाँ/नहीं

(ii) यदि यह प्रपत्र भरते समय उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो उसे मुकदमे/गिरफ्तारी/हिरासत/अर्थदंड/दंडादेश/सजा आदि के बारे में और/अथवा किसी न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मुकदमे की प्रकृति के पूर्ण ब्यौरे दें।

(iii) नोटः– (i) कृपया इस प्रपत्र के 'प्रारम्भ' में लिखी 'चेतावनी' को भी देखें।

(ii) प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर "हाँ" अथवा "नहीं" जैसा भी मामला हो, काट कर दिया जाय।

13. अपने क्षेत्र के ऐसे दो व्यक्तियों के नाम अथवा हवाले लिखें जो आपको जानते हों।

1.

2.

14. मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता/करती हूँ कि मेरे मात्र एक जीवित पत्नी/पति है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही तथा पूर्ण है। मैं किन्हीं ऐसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके तहत मैं सरकारी नौकरी के अयोग्य माना/मानी जाऊँ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर..........................

तारीख..

स्थान..

<u>कार्यालय द्वारा भरा जाएगा</u>

(i) नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा पूरा पता

(ii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया वह पद, जिस पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा रहा है।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate/Executive Magistrate

Sri---
S/O.D/O------------------------------ Aged----------------------------- by caste -------------
---------------by Nationality Indian by occupation------------------------resident of village------------------------- Town----------------------- P.O--------------------P.S-------
------------------District- ---------------do here by solemnly affirm and declare as follows:-

(i) That I am a permanent resident of aforesaid village/Town which falls under P.O-------------------------- P.S---------------------------------District--------------------.

(ii) That there is no any adverse remarks against me in any Police Station.

(iii) That there is no criminal case against me in any Police Station or in any of the Honourable Court.

(iv) That all the document i.e caste certificate, residential certificate, educational qualification certificates/marks sheets and others certificate filled by me in connections with the recruitment under Bihar Technical Service Commission are true to the best of my belief and knowledge.

(v) That experience certificate produced by me is true to the best of my belief and knowledge.

If any wrong information arises in connection with my submitted certificates. I will be liable to be punished under Law.

The Statements made above are true to the best of my knowledge, belief & information and I sign this------------------------day--
---at ---------------------------------------.

Deponent Signature

Solemnly affirm and declared before me to be true by the deponent who is

Identified by the Advocate--

Signature of Magistrate---